

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति VWSC को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रामपालीय भूमि विधायक उपराजपत्र जनपद- भट्टराज

ग्राम पंचायत नं दिनोंक 27/06/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति VWSC का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया हैं-

क्रम	सदरप का नाम	वर्गीकरण	रुप	पदनाम	मोबाइल नं
1	अश्विनी लोहड़ी	पिंडी कर्मी		अध्यक्ष	7400772773
2	राधेश्वरी लोहड़ी	स्थानीय		सचिव	9555321424
3	दिलक्षण किंदू	पिंडी कर्मी		कोषाध्यक्ष	9336679756
4	सुल्तान लोहड़ी	पिंडी कर्मी	३७	सामान्य सदस्य	9129276585
5	हेठी लोहड़ी	२१	३५	सामान्य सदस्य	9651974562
6	विजय लोहड़ी	२१	५४	सामान्य सदस्य	9889745612
7	राजेन्द्र लोहड़ी	२१	६२	सामान्य सदस्य	८०८१८५२८९८
8	मैत्रेन्द्र लोहड़ी	२१	५८	सामान्य सदस्य	९००९४८४९५७
9	जगद्वास लोहड़ी	२१	५८	सामान्य सदस्य	9335342365
10	आमत लोहड़ी	२१	५२	सामान्य सदस्य	7522890811
11	स्त्रिया लोहड़ी	२१	४२	सामान्य सदस्य	9135055683
12	विष्णु लोहड़ी	२१	५२	सामान्य सदस्य	7268826430
13	स्त्रिया लोहड़ी	२१	३४	सामान्य सदस्य	6386352449
14	जीरोक्षा लोहड़ी	२१	५१	सामान्य सदस्य	९९६०८३९६७७
15	विजय लोहड़ी	२१	३६	सामान्य सदस्य	9511967653

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग/ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता भिरान/ राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई रतर पर संघर्ष-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं/ रोडों हेतु रख-रखाव/ उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।

5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

6-ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध करायें तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।

